"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जून 2002—ज्येष्ठ 14, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/39/2002/वा. क./पांच (66).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि संपूर्ण प्रदेश में आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं से संबंधित है, 1 अप्रैल 2002 से उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहित किया जाएगा.

सारणी

अ. क्र. (1)	आबकारी शुल्क योग्य वस्तु (2)	शुल्क की दर (3)
1.	(क) देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन)	रुपये 48/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	भांग (भाण्डागार से प्रदाय लेने पर)	
	(क) वर्ष 2002-2003 के लिए नीलाम की गई भांग एवं भांग घोटा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदाय लिये जाने पर.	रुपये 50/- प्रति किलोग्राम

(1)	(2)	(3)
	(ख) खंड (क) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्तधारियों को प्रदाय करने पर.	रुपये 150/- प्रति किलोग्राम

3. विदेशी मदिरा सिविलियन्स के लिए

अ. क्र.	एक्सफैक्ट्री दर (प्रति केस अर्थात् 12 बोतल)	एक्सफैक्ट्री दर (प्रति केस अर्थात् 12 बोतल)	ड्यूटी दरें प्रति प्रूफ लीटर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रुपये 240 तक	साधारण रेन्ज रु. 240 से 400 तक	रु. 60/-
2.	रु. 241 से 400 तक		
3.	रु. 401 से 600 तक	मध्यम रेंज रु. 401 से 900 तक	रु. 80/-
4.	रु. 601 से 900 तक		
5.	रु. 901 से 1600 तक	उच्च रेंज रु. 901 से 3000 तक	रु. 110/-
6.	रु. 1601 से 3000 तक		
7.	इंडियन स्कॉच		रु. 400/-
8.	आयातित		रु. 500/-
9.	बीयर (माल्ट लिकर)		रु. 10/- प्रति क्वार्ट बोतल

4.	(a)	विदेशी मदिरा सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए.	रुपये 21/- प्रति प्रूफ लीटर
	(b)	बीयर (माल्ट लिकर)	रुपये 2 प्रति क्वार्ट बोतल

स्पष्टीकरण :— 1. विदेशी मदिरा में सम्मिलित है-ब्रांडी, जिन, रम, व्हिस्की, वाइन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स उनके मिक्सचर तथा अन्य निर्मितियों जो स्प्रिट युक्त हो.

2. माल्ट लिकर में सम्मिलित है-बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर आदि.

3. सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बल से अभिप्रेत है-सैन्य कर्मी जो विदेशी मदिरा मिलिट्री कैन्टीन संगठन के माध्यम से प्राप्त करते हैं. इनमें सीमा सुरक्षा बल कर्मी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मी शामिल है.

4. 191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल निप बोतल के रूप में वर्गीकृत की जाएगी, 383 मिलीमीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल पिंट बोतल होगी, 767 मिलीमीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी और 767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल मैग्नम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.